

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/माध्य/मा-द/अंग्रेजी माध्यम/प्रवेश/66181/2022-23/(E FILE-02360) दिनांक: यथा हस्ताक्षर

महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जहां सत्र 2025-26 में प्रथम बार 11वीं कक्षा अंग्रेजी माध्यम में संचालित होनी है, मे विद्यार्थियों के नव प्रवेश के लिए संस्था प्रधानों व विद्यार्थियों/अभिभावकों हेतु दिशा-निर्देश :-

महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जहां कक्षा 11वीं, सत्र 2025-26 में प्रथम बार अंग्रेजी माध्यम में संचालित होनी है, मे प्रवेश हेतु अभिभावकों/विद्यार्थियों से दिनांक: 12.07.2025 से दिनांक: 16.07.2025 तक शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन भरवाये गये है। उपर्युक्तानुसार ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से भरवाये गये आवेदनों के संबंध में सत्र 2025-26 में आर.टी.ई. के मापदण्डानुसार प्रवेश हेतु निम्नानुसार समय-सारणी प्रेषित की जा रही है :-

क्र. सं.	कार्यक्रम का विवरण	निर्धारित तिथि /समयावधि	विशेष विवरण
1	ऑनलाईन लॉटरी के उपरान्त चयनित विद्यार्थी द्वारा शाला दर्पण पोर्टल के संबंधित मॉड्यूल के माध्यम से आवंटित/प्रदर्शित विद्यालयों में से किसी एक विद्यालय में रिपोर्टिंग (विद्यालय लॉक) करना।	21.07.2025 से 22.07.2025 तक	संबंधित विद्यार्थी/ अभिभावक द्वारा।
2	ऑनलाईन रिपोर्टिंग (विद्यालय लॉक) के उपरान्त चयनित विद्यार्थियों की सूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना।	23.07.2025	संबंधित विद्यालय द्वारा।
3	ऑनलाईन रिपोर्टिंग (विद्यालय लॉक) के उपरान्त संबंधित विद्यार्थी/अभिभावक द्वारा लॉक किये गये संबंधित विद्यालय में प्रवेश हेतु व्यक्तिशः उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेज (आवेदन की हस्ताक्षरित प्रति व अन्य आवश्यक वांछनीय दस्तावेज) विद्यालय प्रशासन को प्रस्तुत करना।	24.07.2025 से 26.07.2025 तक (विद्यालय कार्य दिवस/विद्यालय समय में)	संबंधित विद्यार्थी/ अभिभावक द्वारा।
4	विद्यार्थी/अभिभावक द्वारा संबंधित विद्यालय में दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने/नहीं किये जाने पर, संस्था प्रधान द्वारा संबंधित मॉड्यूल में विद्यार्थी के नाम के सामने प्रदर्शित विकल्प (प्रवेश/डिलीट) भरा जाना।	24.07.2025 से 26.07.2025 तक	संबंधित विद्यालय द्वारा

- 1- उक्त ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया के माध्यम से एक आवेदक से एक ही आवेदन भरवाया गया है तथा आवेदन में अधिकतम 05 विद्यालयों के विकल्प की वरीयता भरवाई गई है।
- 2- दिनांक: 18.07.2025 को आयोजित ऑनलाईन लॉटरी की प्रक्रिया में प्रत्येक विद्यार्थी को उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरे गये विद्यालय विकल्पों को वरीयता (1 से 5 तक) दी गई है तथा इसी प्रकार प्रत्येक विद्यालय में कक्षावार उपलब्ध सीटों के अनुरूप विद्यार्थियों (आवेदकों) की वरीयता निर्धारण की जायेगी एवं शेष आवेदकों की एक रिजर्व सूची भी वरीयतानुसार निर्धारित की जायेगी।



- 3- ऑनलाईन लॉटरी के उपरान्त चयनित विद्यार्थी/अभिभावक द्वारा शाला दर्पण पोर्टल के संबंधित मॉड्यूल के माध्यम से आवंटित/प्रदर्शित विद्यालयों में से किसी एक विद्यालय में निर्धारित तिथि तक रिपोर्टिंग (विद्यालय लॉक) करना आवश्यक होगा। अन्यथा विभाग द्वारा अन्य विद्यार्थियों को विद्यालय आवंटन पश्चात् शेष रही उपलब्ध सीटों में से आवेदक को उसकी सर्वोच्च वरीयता अनुसार विद्यालय आवंटित कर दिया जायेगा।
- 4- ऑनलाईन रिपोर्टिंग (विद्यालय लॉक) के उपरान्त संबंधित विद्यार्थी/अभिभावक द्वारा लॉक किये गये संबंधित विद्यालय में प्रवेश हेतु निर्धारित समय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेज (आवेदन की हस्ताक्षरित प्रति व अन्य आवश्यक वांछनीय दस्तावेज) विद्यालय प्रशासन को प्रस्तुत नहीं करता है तो, आवेदक की पात्रता निरस्त समझी जायेगी।
- 5- उपर्युक्तानुसार विद्यालय में प्रवेश की अन्तिम तिथि के उपरान्त, आवंटित विद्यार्थियों द्वारा संबंधित लॉक किये गये विद्यालय में प्रवेश नहीं लेने से शेष रही रिक्तियों के लिए, विभाग द्वारा पूर्व में ऑनलाईन तैयार की गई आवेदकों की रिजर्व सूची में से वरीयता अनुसार विद्यार्थियों को आगामी समय में उक्त प्रक्रिया के अनुसार विद्यालय आवंटन, रिपोर्टिंग व प्रवेश हेतु अवसर दिया जायेगा।
- 6- शासन के परिपत्र दिनांक: 14.06.2019 के अनुसार "विद्यालय की कक्षा-11वीं व 12वीं में 60 विद्यार्थी प्रति सैक्शन निर्धारित हैं", उक्त के अनुरूप विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही इस कार्यालय के पत्र दिनांक 21.07.24 की पूर्ण पालना भी सुनिश्चित की जावे।
- 7- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.4(15)शिक्षा-1/2022 जयपुर, दिनांक: 16.07.2022 की पालना में भामाशाह द्वारा गोद लेकर 50 लाख रुपये से अधिक राशि के कार्य करवाये गये हैं अथवा सम्पूर्ण विद्यालय भवन निर्मित कर जिसमें 50 लाख रुपये से अधिक राशि का व्यय हुआ है, दान दिया गया है। ऐसे भामाशाहों की अभिशंषा पर संबंधित विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 02 एवं सम्पूर्ण विद्यालय में प्रतिवर्ष अधिकतम 10 विद्यार्थियों को प्रवेश दिये जाने हेतु प्रवेश कोटा निर्धारित किया गया है। यह कोटा उक्त विद्यालयों में संचालित कक्षाओं की निर्धारित सीटों के अतिरिक्त सीटों के लिए होगा। उक्त प्रवेश ऑनलाईन किये गये आवेदनों में से आवेदकों की रिजर्व सूची जारी किये जाने के उपरान्त, विद्यालय प्रशासन द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से किये जायेंगे।

शेष शर्तें विभागीय दिशा-निर्देश पत्र दिनांक: 08.07.2025 अनुसार यथावत रहेगी।

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन

अति. राज्य परि. निदेशक(वरिष्ठ)

समग्र शिक्षा अभियान(समसा)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3- निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
- 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायतीराज (प्राशि) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
- 5- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
- 6- वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी), शिक्षा संकुल, जयपुर।

- 7- **समस्त** संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मु.), माशि./मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/पीईईओ/यूसीईईओ/संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि **विभाग द्वारा उपर्युक्तानुसार जारी दिशा-निर्देशों व समय-सारणी का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार किया जाकर चयनित विद्यार्थियों व अभिभावकों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान कर प्रवेश करवाने हेतु।**
- 8- जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा (समस्त जिले)।
- 9- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा (समस्त जिले)।
- 10- उप निदेशक (शाला दर्पण प्रकोष्ठ), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
- 11- सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
- 12- सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 13- वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा।
- 14- स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
- 15- रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक(महात्मा गांधी विद्यालय)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर